कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

संख्याः 130 /संविदा वाहन/2021–22/अम्बेडकरनगर/दिनांकः 06 मई,2021

विज्ञप्ति

जनपद अम्बेडकरनगर के आबकारी विभाग हेतु संविदा पर टैक्सी वाहन के रूप में पंजीकृत एक वाहन (बोलेरो, टवेरा, क्वालिस, टाटा स्पेशियो या महिन्द्रा जीप आदि जैसा वाहन) अधिकतम धनराशि रूपये 36000.00 मासिक पर 1500 किलो मीटर मासिक हेतु दिनांक 31.03.2022 तक के लिए लिया जाना है। वाहन का मॉडल माह जनवरी 2016 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इच्छुक वाहनस्वामी, जो निविदा देना चाहें, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी पता–निकट स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मुरादाबाद, अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर से सम्पर्क कर अथवा जनपद की वेबसाइट www.ambedkarnagar.nic.in पर संविदा पर वाहन लिए जाने की शर्तों का विवरण प्राप्तकर अपना प्रस्ताव दिनांक 13.05.2021 को 15:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अम्बेडकरनगर में उपलब्ध करा सकते हैं। निविदा दिनांक 13.05.2021 को 16:00 बजे खोली जायेगी।

06.5.21

(अतुल कुमार श्रीवास्तव)
जिला आबकारी अधिकारी,
अम्बेडकरनगर

संख्याः 131-32 /संविदा वाहन/2021–22/अम्बेडकरनगर/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अम्बेडकरनगर को उक्त विज्ञप्ति शर्तों के विवरण सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इन्हें जनपद की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन जनपदस्तरीय दो प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों में सःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

06-05-21

जिला आबकारी अधिकारी,
अम्बेडकरनगर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्या–सी– 56 /एक–लेखा/सशक्तीकरण/संविदा वाहन/2010–11, दि0 05 मई,2021

1– समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन्स, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त प्रभार, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन।

विषयः–आबकारी विभाग में संविदा पर वाहन लिये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया शासन के पत्र संख्या–941 ई–1/तेरह–2021–499(2)/2008, दि0 05 मई, 2021 के अधीन शासनादेश संख्या–562 ई–1/तेरह–2010–499(2)/2008, दि0 27.4.2010 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अनुसार वित्तीय **वर्ष 2021–22** के लिये स्वीकृत **75** वाहन संविदा पर लिये जाने हेतु यह निर्देशित है कि वाहनों का उपयोग वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्बन्धित जनपदों में संविदा पर रखे गये वाहनों के संविदा अनुबन्ध का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पूर्व में शासन के आदेश संख्या–1969 ई–1/तेरह–2020–499(2)/2008, दिनांक 26 नवम्बर,2020 द्वारा 75 वाहनों को संविदा पर लिये जाने की स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–सी–1193/एक–लेखा/सशक्तीकरण/संविदा वाहन/2010–11, दि0 27 नवम्बर, 2020 द्वारा विभाग में आवश्यकतानुसार 75 वाहनों को दिनांक 31.03.2021 तक संविदा पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

वर्तमान में शासन के पत्र संख्या–941 ई–1/तेरह–2021–499(2)/2008, दिनांक 05 मई,2021 द्वारा पुनः 75 संविदा वाहनों को वित्तीय **वर्ष 2021–22** हेतु लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा अब चूँकि प्रवर्तन/एस0एस0एफ0ए/बी इकाईयों को समाप्त कर नवगठित प्रवर्तन इकाईयों की संख्या निर्धारित करते हुये पुनर्गठन किया गया है, अतः निम्न तालिका के अनुसार 75 संविदा वाहन लिये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:–

क्र0	प्रभार का नाम	जनपद/प्रवर्तन इकाई का नाम	संविदा वाहनों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**
1	**वाराणसी**	जनपद वाराणसी	**02**
		जनपद चन्दौली	**01**
		जनपद गाजीपुर	**01**
		जनपद जौनपुर	**01**
2	**प्रयागराज**	जनपद–प्रयागराज	**02**

		जनपद कौशाम्बी	01
		जनपद फतेहपुर	01
		जनपद प्रतापगढ़	01
3	मिर्जापुर	जनपद सोनभद्र	01
		जनपद भदोही	01
		प्रवर्तन मिर्जापुर	01
4	आजमगढ़	जनपद आजमगढ़	02
		प्रवर्तन, आजमगढ़	01
5	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर	02
		जनपद देवरिया	01
		जनपद कुशीनगर	01
6	बस्ती	जनपद बस्ती	01
		जनपद संतकबीरनगर	01
		जनपद सिद्धार्थ नगर।	01
		प्रवर्तन, बस्ती प्रभार	01
7	लखनऊ	जनपद लखनऊ	02
		जनपद सीतापुर	01
		जनपद खीरी	01
8	अयोध्या प्रभार	जनपद– अयोध्या	02
		जनपद बाराबंकी	01
		जनपद सुल्तानपुर	01
		जनपद अम्बेडकरनगर	01
		जनपद अमेठी	01
		प्रवर्तन अयोध्या	01
9	देवीपाटन	जनपद गोण्डा।	02
		जनपद श्रावस्ती।	01
10	बरेली	जनपद बरेली	02
		जनपद बदायूं	01
		जनपद पीलीभीत	01
		जनपद शाहजहांपुर	01
		प्रवर्तन बरेली प्रभार	01
11	मेरठ	जनपद मेरठ	01
		जनपद बुलन्दशहर	01
		जनपद हापुड़	02
		जनपद गाजियाबाद	01

12	**मुरादाबाद**	जनपद मुरादाबाद	**02**
		जनपद–सम्भल	**02**
		जनपद अमरोहा	**01**
		जनपद बिजनौर	**02**
13	**सहारनपुर**	जनपद मुजफ्फरनगर	**02**
14	**आगरा**	जनपद आगरा	**02**
		जनपद फिरोजाबाद	**01**
15	**अलीगढ़**	जनपद हाथरस	**01**
16	**कानपुर**	जनपद कानपुर नगर	**02**
		जनपद इटावा।	**01**
		जनपद औरैया।	**01**
		जनपद कन्नौज	**01**
		प्रवर्तन कानपुर।	**01**
17	**झांसी।**	जनपद झांसी।	**01**
		जनपद ललितपुर।	**01**
		प्रवर्तन, झांसी	**01**
18	**चित्रकूटधाम, बांदा।**	जनपद बांदा।	**01**
		जनपद चित्रकूट	**01**
		जनपद हमीरपुर	**01**
		जनपद महोबा	**01**
			योग–75

वाहनों को संविदा पर लिये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जायेगी :–

(अ) जोनल मुख्यालय वाले जिलों तथा प्रवर्तन इकाई हेतु(यथा जनपद वाराणसी, गोरखपुर,लखनऊ, मेरठ एवं आगरा तथा प्रवर्तन इकाई वाराणसी, गोरखपुर,लखनऊ, मेरठ तथा आगरा जोन)

(1) **संयुक्त आबकारी आयुक्त(सम्बंधित जोन)** — अध्यक्ष
(2) उप आबकारी आयुक्त(जोनल मुख्यालय का प्रभार) — सदस्य
(3) जिला आबकारी अधिकारी(जोन मुख्यालय का जनपद) — सदस्य

(ब) मण्डल मुख्यालय वाले जिलों, प्रवर्तन इकाई यथा इलाहाबाद, मीरजापुर, आजमगढ़, बस्ती, फैजाबाद,देवीपाटन, मुरादाबाद,बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, कानपुर , झांसी तथा चित्रकूटधाम आदि हेतु :–

(1) **उप आबकारी आयुक्त(सम्बंधित प्रभार)** — अध्यक्ष
(2) जिला आबकारी अधिकारी(प्रभार मुख्यालय का जनपद) — सदस्य
(3) सहायक आबकारी आयुक्त,प्रवर्तन / एस0एस0एफ0 **(सम्बंधित प्रभार)** — सदस्य

(स) शेष जनपदों हेतु प्रस्तर–4 (अ) (ब) वाले जनपदों को छोड़कर

(1) **जिला आबकारी अधिकारी जनपद** अध्यक्ष

(2) अपराध निरोधक क्षेत्र/सेक्टर में तैनात आबकारी निरीक्षक सदस्य
(यदि जनपद में केवल एक आबकारी निरीक्षक की नियुक्ति हो, तो ऐसी स्थिति में उस प्रभाग का एक आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन सदस्य होंगें।

4– आमंत्रित टेण्डर में संविदा पर लिये जाने वाले वाहनों का प्रकार(जो प्रवर्तन कार्य हेतु उचित हो) एवं संविदा अवधि भी स्पष्ट की जायेगी।

5– नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुये न्यूनतम धनराशि के टेण्डरों को ही समिति द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

6– टेण्डर दाताओं द्वारा एक समूह बनाकर टेण्डर भरने की आशंका पर उनके टेण्डर निरस्त कर दिये जायेंगे।

7– आमंत्रित टेण्डर के नियम एवं शर्तें राज्य सम्पत्ति विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या एम–1706/32–3–2018–7(32)/2001,टी0सी0–1,लखनऊ,दिनांक 28.02.2018 एवं विभागीय आवश्यकताओं के आलोक में निम्नवत् होंगे:–

(क) उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का मॉडल माह जनवरी,2016 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये।

(ख) वाहन के लॉग बुक में आने–जाने का विवरण समय सहित अंकित किया जायेगा। बिल प्रस्तुत करते समय लागबुक का सत्यापन सम्बंधित संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन/उप आबकारी आयुक्त प्रभार/जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त आदि (यथास्थिति) द्वारा किया जायेगा।

(ग) वाहनों का माइलोमीटर प्रमाणित एवं चालू हालत में होना चाहिये। गलत मीटर रीडिंग पाये जाने पर देयक का भुगतान रोका जा सकता है। उपलब्ध कराये गये वाहन चालक से किसी व्यक्ति/पशु की दुर्घटना में मृत्यु अथवा घायल होने पर अथवा किसी वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर आबकारी विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

(घ) वाहन की कंडीशन प्रवर्तन कार्य हेतु उपयुक्त होनी चाहिये।

(ड़) वाहन से सम्बंधित शिकायत प्राप्त होने पर उस दिन के किराये में से 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी। विभाग द्वारा चालक को किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

(च) वाहन के खराब होने पर तत्काल प्रतिस्थानी वाहन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

(छ) प्रस्तुत बिल की धनराशि में से 1.5 प्रतिशत आयकर एवं .24 प्रतिशत देय सरचार्ज की कटौती करके अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा। काटे गये आयकर व सरचार्ज की धनराशि को आयकर विभाग में जमा करके नियमानुसार माह अप्रैल में प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(ज) निविदा की शर्त का उल्लंघन करने पर बिलों का भुगतान रोका जा सकता है। वाहन स्वामी को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। निविदा सम्बंधी किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र सम्बंधित जनपद न्यायालय के अधीन होगा।

(झ) संविदा वाहन की सुविधा 24 घंटे की होगी। वाहन स्वामी द्वारा कम से कम दो मोबाइल नम्बर/फैक्स नम्बर जो 24 घंटे उपलब्ध हो, सम्बंधित कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

(ट) वाहन स्वामी द्वारा वाहन चालक का पूर्ण विवरण आवासीय पता, फोन/मोबाइल नम्बर सम्बंधित विभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा तथा चालक के ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।

(ठ) वर्ष 2021–22 हेतु संविदा पर लिये जाने वाले वाहनों हेतु टेण्डर की स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम मासिक धनराशि रू0–**36000(रू0 छत्तीस हजार मात्र)** 1500 कि0मी0 के लिये होगी। यह दर निविदा स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगी।

(ड,) उक्त किराये की दरों में ईंधन, चालक, नाईट हाल्ट, प्रतीक्षा भाड़ा, मरम्मत, बीमा, रोड टैक्स, परमिट,सर्विस टैक्स आदि सभी कर सम्मिलित होंगे, जिसका वहन निविदाकर्ता द्वारा किया जायेगा।

(ढ़) शासन के निर्देशानुसार स्वीकृत संविदा वाहनों का उपयोग वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्बंधित जनपदों में संविदा पर रखे गये वाहनों के संविदा अनुबन्ध का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि अनुबन्ध का विवरण शासन को भेजा जा सके।

(त) वाहन नियमानुसार परिवहन विभाग से उनके नियमों के अनुसार टैक्सी में पंजीकृत होना चाहिये तथा पंजीकरण वैध होना चाहिये।

(थ) इस सम्बंध में होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान संख्या–1 के लेखाशीर्षक–''2039–राज्य उत्पाद शुल्क–001–निदेशन तथा प्रशासन–05–भट्टियॉं–15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के नाम'' डाला जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(विजय कुमार सिंह)
उप आबकारी आयुक्त,
(कार्मिक एवं अधिष्ठान)
कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0।

संख्या–सी– /एक–लेखा/सशक्तीकरण/संविदा वाहन/2010–11/तद्दिनांक

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कार्यालय आबकारी आयुक्त,उ0प्र0, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार सिंह)
उप आबकारी आयुक्त,
(कार्मिक एवं अधिष्ठान)
कार्यालय आबकारी आयुक्त,उ0प्र0।